कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 3607 /FP/UK/ROAD/11810/2015 :देहरादूनःदिनांकः 22 मई, 2017

सेवा में,

1. अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रूद्रप्रयाग।

2. प्रभागीय वनाधिकारी,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाडा–तोलब–मयकोटी एवं मालकोटी–डांगी–गुनांउ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर 2.375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग का पत्रांक 1147/16सी0 दिनांक 29–04–2017.

महोदय,

विषयांकित परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव आपके कार्यालय द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर कतिपय कमियाँ पायी गयी, जो निम्नानुसार हैं :–

1. प्रस्ताव की मूल प्रति प्रेषित की जाय एवं मूल प्रति में संलग्न छायाप्रतियों को सत्यापित कर संलग्न किये जाये।
2. प्रभागीय वनाधिकारी की एस0आई0आर0 प्रस्ताव पर संलग्न की जाय।
3. परियोजना का एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जी0ओ0–रिफरेन्स मैप संलग्न करें।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न की जाय।
5. परियोजना में भू–वैज्ञानिक की रिर्पोट संलग्न की जाय।
6. ग्राम पंचायत कुमोली–मालकोटी प्रमाण–पत्र पर दिनांक 20–02–2015 का उल्लेख है, जबकि उपस्थिति प्रपत्र में दिनांक 03–03–2015 का उल्लेख है। अतः सही सूचना संलग्न की जाय।
7. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की पठनीय प्रति संलग्न की जाय।
8. हल्का वाहन मार्ग वर्ष 1980 से पूर्व निर्मित होने के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें।
9. प्रस्ताव में 151 वृक्षों की सूची संलग्न है, परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र में 24 वृक्षों का उल्लेख है। अतः सही सूचना संलग्न की जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव पर ऑनलाईन भरे जाने वाले कतिपय कमियों को भी पूर्ण किया जाय। प्रस्ताव पूर्ण प्राप्त होने पर ही अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। इस कार्यालय को प्रेषित ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव में उक्त कमियों का निराकरण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी